

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL
PROCEDURE CODE, 1898

In the Court of Jitendra Rawat Judicial Magistrate First Class Maheśwar
Case No 540 /2022 Complaint or report made on Name
and address of the complainant शासन द्वारा आवकारी वृत्त/आरक्षी केंद्र मे २५१-

Name, parentage, caste and address of accused

मेहता पिता मेना वसुनिया मील उम्र ५५ साल निवासी
आवालीया

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

आपने दिनांक 12.10.22 को समय 10:40 बजे स्थान
मल्हान के पीछे आवालीया में अपने
आधिपत्य में 08 लीटर हाथ भरती महुआ शराब
शराब को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखी।

ऐसा करके आपने वह अपराध किया जो कि धारा
34(A) EX Act के अंतर्गत दंडनीय
अपराध है एवं इस न्यायालय के संज्ञान के क्षेत्राधिकार में है।

क्या आप अपराध स्वीकार करते हो अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ?

J. Rawat

(जितेन्द्र रावत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The plea of the accused and his examination (if any)

अभियुक्त/अभियुक्तगण की प्ली
अपराध स्वीकार है

नि. अ. ३०१ मेहता

J. Rawat

(जितेन्द्र रावत)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The offence proved, of any, and in case under clause. (d) clause (e) clause (f) or clause (g)
Sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed

निर्णय

// आज दिनांक 19/10/22 को घोषित //

1. अभियुक्त/अभियुक्तगण के प्रकरण में सहित प्रक्रिया अपनायी जाकर अभियुक्त को धारा 34(A) EX ACT के तहत अपराध की विशिष्टता प्रदर्शित सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने उक्त अपराध किया जाना स्वीकार किया अभियुक्त/गण की स्वीकाराये गये बातों में की जान प्रमाण होती है।

2. अभियुक्त/अभियुक्तगण को अपराध की, स्वीकाराये के आधार पर गठित की गयी अभियुक्त के देखते हुए धारा 34(A) EX ACT के तहत अपराध की स्वीकाराये जाते है अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 34(A) EX ACT के अपराध में न्यायालय उक्त में न्याय न करे एव न्याय 1000/- (एक हजार रुपये) में अर्द्धदण्ड में दण्डित किया जाता है।

3. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा अर्द्धदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतान करे।

4. प्रकरण में अपराध 08 लीटर हाथ भंडार गुप्तता प्रमाण प्रमाणित अवधि प्रमाणित नष्ट की जाए।

निर्णय हुआ न्यायालय के दिनांकित
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

J. Rowel -

19/10/22

(जितेंद्र रावत)

आधिकारिक सचिव न्यायालय

कोटा न्यायालय

कोटा न्यायालय न्यायाधीश

कोटा न्यायालय

J. Rowel -

19/10/22

(जितेंद्र रावत)

आधिकारिक सचिव न्यायालय

कोटा न्यायालय